पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 274/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 03.09.20243

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 03.09.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाहियां की गयीः-

01-थाना जहानागंज: गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अपराधी गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 27.05.2024 को वादिनी मुकदमा तनीषा यादव द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी अपनी मां के साथपरम ज्योति मातात मन्दिर टाड़ी में पूजा करने गयी थी, पूजा के दौरान अज्ञात महिलाओं धक्का-मुक्की देते हुए उलझाकर वादिनी का मंगलसूत्र चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 255/2024 धारा 379, 411 भादवि0 पंजीकृत कर 01 अभियुक्ता 1- पूजा देवी पत्नी रंजीत उर्फ दलजीत निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। दौरान विवेचना शेष अभियुक्ताओं 2- मीना देवी पत्नी गुल्लु उर्फ साधु निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ, 3- रंजीत उर्फ दलजीत पुत्र गुल्लु उर्फ साधु निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ, को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा गैंग बनाकर चोरी जैसे जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता की रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी आजमगढ़ द्वारा दिनांक 30.08.2024 को गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया। जिसके क्रम में दिनांक 31.08.2024 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक कृष्ण कुमार गुप्ता की तहरीर पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0 467/24 धारा 2(B)(1)/3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट** बनाम 1. मीना देवी पत्नी गुल्लु उर्फ साधु निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ, 2. रंजीत उर्फ दलजीत पुत्र गुल्लु उर्फ साधु निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ, 3. पूजा देवी पत्नी रंजीत उर्फ दलजीत निवासी दौलतपुर थाना घोषी जनपद मऊ अस्थायी पता बनगाँवा थाना घोषी जनपद मऊ के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 02.09.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता व उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त रंजीत कुमार उर्फ दलजीत S/O गुल्लू उर्फ साधू प्रसाद R/O बनगावाँ दौलतपुर घोसी थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 22 वर्ष को महुआ पेट्रोल पम्प के पास से समय करीब 12.45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 472/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	255/24	379/411 भादवि	जहानागंज	आजमगढ़
2	472/24	3/25 आर्म्स एक्ट	जहानागंज	आजमगढ़
3	467/24	2(b)(1) 3(1) up गैंगेस्टर act	जहानागंज	आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- प्र0नि0 जहानागंज कृष्ण कुमार गुप्ता, उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता, का0 शुभम सिंह, का0 हरेन्द्र सिंह, का0 पवन सिंह, का0 राकेश वर्मा थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

02-थाना निजामाबाद: अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा अवैध शस्त्र रखने वालों, अवैध असलहों की तस्करी एवं निर्माण करने वाले अपराधियों के विरुद्ध चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.09.2024 को उ0नि0 कैलाश सिंह यादव मय हमराह द्वारा मुइया मकदुमपुर तिराहे से अभियुक्त मो0 सरफराज पुत्र मो0 मुस्थफा निवासी मुइया मकदुमपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ को 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतुस .315 बोर के साथ समय करीब 1.30 AM बजे गिरफ्तार किया गया। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 427/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	433/23	3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 4/25 आर्म्स एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ़
2	499/23	3(1) उ0प्र0 गिरोह बन्द समाज बिरोधी क्रिया कलाप निवारण अधि0	निजामाबाद	आजमगढ़
3.	389/23	379 भादवि व 3/5/8 गोबध निवारण अधिनियम	निजामाबाद	आजमगढ़
4.	445/23	307 भादवि व 3/25 आर्म एक्ट	निजामाबाद	आजमगढ़

03. थाना – तरवा: अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार व एक बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में !

पूर्व की घटना–

अवगत कराना है कि दिनांक-26.08.2024 को वादिनी मुकदमा थाना तरवाँ जिला आजमगढ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि दिनांक- 24.08.2024 को विपक्षी एक बाल अपचारी द्वारा वादिनी मुकदमा की नाबालिक पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 250/2024 धारा 137(2),87,352,351(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 रामप्रसाद यादव द्वारा सम्पादित किया जा रहा है बाद दौराने विवेचना से बरामद अपहृता, बयान पीड़िता अन्तर्गत धारा 180बीएनएसएस के अवलोकन से मुकदमा उपरोक्त में धारा 61(2) बीएनएस की वृद्धि तथा अभियुक्त विशेक राजभर उर्फ सिन्टू राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी ग्राम बहलोलपुर थाना तरवां जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया है।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 03.09.2024 को उ0नि0 रामप्रसाद यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्तो से सम्बन्धित अभियुक्त विशेक उर्फ सिन्टू राजभर पुत्र सुरेश राजभर निवासी बहलोलपुर थाना तरवा जनपद आजमगढ़ को खरिहानी बाजार बस स्टेन्ड के पास समय करीब 9.40 बजे नियमानुसार हिरासत पुलिस में लिया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

04. थाना जहानागंजः चोरी गये आभूषण के साथ 05 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना

अवगत कराना है कि दिनांक 30.08.24 को वादी अजीत यादव s/o शुबाष यादव ग्राम टेलुवा पोस्ट बरहलगंज थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी की माँ को सरकारी आवास दिलाने के नाम पर नशीला पदार्थ सुंघाकर वादी की माँ का मंगल सुत्र, चैन, कनफुल कानबाली छागल आदि ले लिया गया, जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 460/24 धारा 123, 303(2), 318(2) BNS बनाम अज्ञात के पंजीकृत होकर विवेचना उ.नि. उमाकान्त त्रिपाठी द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना के दौरान मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त 1. शिवा पुत्र राजकुमार, 2. अनिल पुत्र मुनेश्वर निवासीगण दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी 3. नकछेद पुत्र सोमारू निवासी एकटोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ , 4.श्रीमती सोनी पत्नी बबलू निवासी मैनुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 5. शकुंतला पत्नी बितानु निवासी एकटोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ 6. धर्मेंद्र पुत्र रामसृंगार निवासी जोलहापुर जोधपुर थाना जहांगीरगंज आंबेडकरनगर का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक- 02.09.2024 को उ0नि0 उमाकान्त त्रिपाठी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त 1. शिवा पुत्र राजकुमार, 2. अनिल पुत्र मुनेश्वर निवासीगण दानगंज थाना चोलापुर जनपद वाराणसी 3. नकछेद पुत्र सोमारू निवासी एकटोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ , 4.श्रीमती सोनी पत्नी बबलू निवासी मैनुद्दीनपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ 5. शकुंतला पत्नी बितानु निवासी एकटोहिया थाना फूलपुर आजमगढ़ 6. धर्मेंद्र पुत्र रामसृंगार निवासी जोलहापुर जोधपुर थाना जहांगीरगंज आंबेडकरनगर को चोरी गये आभूषण एक जोड़ी का कान का टप्स पीली धातु, एक जोडी बिछिया सफेद धातु, एक जोडी पायल सफेद धातु व 1120 रूपये नकद के साथ शेरपुर से भुजही जानी वाली रोड से समय करीब 15.00 बजे पुलिस हिरासत मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तो का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

05. थाना देवगांवः दहेज हत्या में वांछित तीन अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2024 को वादी मुकदमा महेश पुत्र श्रीपत निवासी जिवली थाना बरदह आजमगढ़ द्वाने थाना देवगांव पर लिखित तहरीर दी कि वादी मुकदमा पुत्री पूनम को उसके ससुरालीजन वालो द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताडित करते हुए मारपीट कर हत्या की गयी है, के सम्बन्ध में थाना देवगांव पर मु0अ0सं0 320/2024 धारा 85/80 बी.एन.एस. व 3/4 डीपी एक्ट बनाम 1. नीरज पुत्र बैजनाथ 2. बैजनाथ पुत्र अज्ञात 3. ललिता पत्नी बैजनाथ निवासी ग्राम जिरिकपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 गौरव सिंह द्वारा संपादित किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 03.09.2024 को प्र0नि0 विनय कुमार मिश्र द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1. नीरज पुत्र बैजनाथ 2. बैजनाथ पुत्र अज्ञात 3. ललिता पत्नी बैजनाथ निवासी ग्राम जिरिकपुर थाना देवगाव जनपद आजमगढ़ को गोसाईगंज बाजार से समय 06.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

06. थाना जहानागंज: दुष्कर्म के प्रयास में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

अवगत कराना है कि दिनांक 02.09.2024 को वादिनी मुकदमा थाना जहानागंज आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी कि विपक्षी दीपू राजभर S/O फेकू राजभर द्वारा वादिनी की 09 वर्षीय पुत्री को टाफी देने के बहाने को अपने घर में बुलाया था वादिनी मुकदमा ने खिड़की से देखा कि दीपू राजभर द्वारा वादिनी की बच्ची की चड्ढी खोल रहा था जब वादिनी ने शोरगुल किया तो वह मेरी बच्ची को छोड़कर भाग गया जिसके सम्बन्ध में थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0-474/2024 धारा 74, 352 बीएनएस व 9/10 पाक्सो एक्ट, पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 03.08.24 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपू राजभर पुत्र फेकू राजभर निवासी महुआ मलकानी थाना जहानागंज आजमगढ़ को महुआ रोड (तिराहे) से समय करीब 12.20 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।